



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 09.01.2025

1.थाना फेस 3 पुलिस द्वारा समलैंगिक ग्राइंडर ऐप के माध्यम से लोगो को फंसाकर उनको डरा धमकाकर उनसे रुपये ट्रान्सफर कराने व उनके पैसे व सामान को ले लेने की घटनाओं को अन्जाम देने वाले 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12,700 रुपये व एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक आरसी बरामदा

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 08.01.2025 वादी द्वारा थाना फेस 3 पर तहरीर दी गयी कि 1. शनि पुत्र हरपाल सिंह 2. करन कुमार पुत्र मनोज कुमार 3. रजत पुत्र राजकिशोर व प्रकाश में आया अभि0 4. तुषार पुत्र विजय द्वारा वादी के गूगल-पे खाते से 24,300 रुपये ट्रान्सफर करा लिये है जिसके सम्बन्ध मे थाना फेस-3 पर मु0अ0सं0 10/2025 धारा-352/127(2)/308(6) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 09.01.2025 को थाना फेस 3 पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्तों 1. शनि पुत्र हरपाल सिंह 2. करन कुमार पुत्र मनोज कुमार 3. रजत पुत्र राजकिशोर व प्रकाश में आया अभि0 4. तुषार पुत्र विजय को सै0-65 बी ब्लॉक पार्क से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 12700 रुपये व एक आधार कार्ड , एक पैन कार्ड , एक आरसी बरामद हुए है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग ग्राइंडर समलैंगिक ऐप के माध्यम से अलग-अलग आईडी बनाकर लोगो को अपने पास बुलाकर उसे डरा धमकाकर उसके पैसे ट्रान्सफर करा लेते है व उनका सामान व कागजात ले लेते है। हम चारो ने मिलकर ग्राइंडर समलैंगिक ऐप पर अक्की गोस्वामी नाम की आई.डी. वाले लड़के को फंसाने का प्लान बनाया। हमने शनि नाम की आई.डी. से आपस में चैट कर उसे बुलाया था तथा उसे लेने के लिए अभियुक्त शनि को उसके पास भेजा था जहाँ से उसे साथ लेकर ममूरा शनि के कमरे पर गये प्लानिंग के मुताबिक वादी की जेब से 4000 रुपये निकाल लिये थे। अभियुक्तगण द्वारा वादी को डराया धमकाया गया कि हम तुम्हारे समलैंगिक होने की बात तुम्हारे घरवालों व रिश्तेदारों को बता देंगे अन्यथा तुम्हारे खाते में जितने रुपये है हमे ट्रान्सफर करो। वादी के खाते से अभियुक्तगण द्वारा गूगल-पे के माध्यम से 14,300 रुपये व 10,000 रुपये वादी के भाई से अभि0 शनि के खाते में कुल 24300 रुपये ट्रान्सफर कराये तथा वादी का आधार कार्ड ,पैन कार्ड व आरसी और पैसे लेने हेतु अपने पास रख

लिया और फिर उसे छोड़कर भाग गये। अभियुक्त 1. शनि पुत्र हरपाल सिंह उपरोक्त से 3000 रुपये बरामद 2. करन कुमार पुत्र मनोज उपरोक्त से 3500 रुपये बरामद 3. रजत पुत्र राजकिशोर से 6200 रुपये बरामद हुए। 4. तुषार पुत्र विजय उपरोक्त से कुछ बरामद नहीं हुआ। बाकी रूपयों को अभियुक्तों द्वारा अपने शौक मौज में खर्च कर दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. शनि पुत्र हरपाल सिंह नि0-ग्रा0 मुरलीपुर फूल गढ रोड थाना मुंडाली जनपद मेरठ हाल पता गली न0-7 ममूरा सै0-66 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष
2. करन कुमार पुत्र मनोज कुमार नि0 ग्रा0 मुरलीपुर फूल गढ रोड थाना मुंडाली जनपद मेरठ हाल पता गली न0-7 ममूरा सै0-66 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 22 वर्ष
3. रजत पुत्र राजकिशोर नि0-47/35 अजंता कॉलोनी मुकेश चक्की वाली गली मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष
4. तुषार पुत्र विजय निवासी झुनझुनी थाना बहसुम्मा जिला मेरठ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 10/2025 धारा 352/127(2)/308(6) बीएनएस

बरामदगी का विवरण--

1. कब्जे से 12,700 रुपये
2. एक आधार कार्ड
3. एक पैन कार्ड
4. एक आरसी बरामद।

2.थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे व निशादेही पर घटना में प्रयुक्त मो0सा0 सहित 10 मोटर साईकिल व 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 09.01.2025 को थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वाहन चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के दो अभियुक्तों 1.हेमन्त उर्फ शानू उर्फ दक्ष रावत पुत्र भूप सिंह 2.रविन्द्र सिंह बसनाल पुत्र चन्दन सिंह बसनाल को टी-प्वाइंट सैक्टर-56 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त मो0सा0 सहित 10 मोटर साईकिल जिसमें 09 मो0सा0 चोरी की है व 01 अवैध चाकू बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण नोएडा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मोटर साइकिल चोरी करते हैं। मौका पाकर सस्ते दामों पर किसी अज्ञान व्यक्तियों को बेच देते हैं। पूछताछ में अभियुक्त रविन्द्र ने बताया कि मैंने कई कम्पनियों में एकाउंट की नौकरी की है नौकरी के दौरान नशे की लत लग गयी जिसके कारण मुझे नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती करा दिया गया जिससे मेरी नौकरी छूट गयी इसके बाद मैं सैक्टर-52 नोएडा में जूस की दुकान लगाने वाले हेमन्त से मिला वह भी नशा करता था दोनों मिलकर नशे का खर्च पूरा करने के लिये वाहन चोरी करने लगे। हम दोनों चोरी से मिले पैसे को आपस में बांट कर मौज मस्ती व नशा करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. हेमन्त उर्फ शानू उर्फ दक्ष रावत पुत्र भूप सिंह निवासी पोखड़ा थाना सतपुली जिला पोडीगढवाल उत्तराखण्ड हाल पता यादव का मकान होशियारपुर थाना सैक्टर-39, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 30 वर्ष
2. रविन्द्र सिंह बसनाल पुत्र चन्दन सिंह बसनाल निवासी म0नं0 एफ-100, गली नं0 06, गीतांजली विहार थाना खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. एफआईआर नं0 39629/2024 थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट दिल्ली
2. एफआईआर नं0 363/2024 थाना गाजीपुर दिल्ली
3. मु0अ0सं0-463/2024 थाना सैक्टर-49, नोएडा
4. एफआईआर नं0 024197/2024 थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट दिल्ली
5. मु0अ0सं0- 2076/2023, ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट, दिल्ली
6. मु0अ0सं0-490/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना सैक्टर-58, नोएडा
7. मु0अ0सं0-471/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना सैक्टर-58, नोएडा
8. मु0अ0सं0-09/2025 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर-58, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

1. 09 चोरी की मोटर साइकिलें
2. एक मो0सा0 घटना में प्रयुक्त
3. 01 चाकू

3.थाना जेवर पुलिस द्वारा रेकी कर चोरी करने वाले 03 अन्तर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, कब्जे से करीब 03 लाख रूपये का चोरी का घरेलू सामान बरामदा

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 14.12.2024 को वादी द्वारा थाना जेवर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 10.12.2024-11.12.2024 की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा वादी के तीन मंजिला मकान का ताला तोडकर उपहार के सामान व घरेलू सामान अज्ञात चोर मकान का ताला तोडकर चुरा ले गये है। आवेदक की तहरीर के आधार पर दिनांक 14.12.2024 को मु0अ0सं0 406/2024 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 09.01.2025 को थाना जेवर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये 03 चोर अभियुक्तों 1. जीतू चौधरी पुत्र धीरज पाल 2. सोनू पुत्र गोरे लाल 3. शारिक अली पुत्र आयूब मालिक को चौरोली अण्डरपास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से लगभग 03 लाख रूपये कीमत का घरेलू सामान बरामदा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. जीतू चौधरी पुत्र धीरज पाल नि0 ग्राम नगला तीकोना थाना क्वार्सी जिला अलीगढ़ हाल निवास ग्राम गढौली निकल शिव मन्दिर गुर्जर कालौनी (विनोद गुर्जर का मकान) मयूर फेस 03 दिल्ली
2. सोनू पुत्र गोरे लाल नि0 ग्राम गोपालपुर थाना भोगनीपुर जिला कानपुर हाल निवास ग्राम गढौली निकल शिव मन्दिर गुर्जर कालौनी (विनोद गुर्जर का मकान) मयूर फेस 03 दिल्ली
3. शारिक अली पुत्र आयूब मालिक निवासी मकान सं0 A/463 मयूर विहार फेस 3 थाना अशोक नगर दिल्ली

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 406/2024 धारा 305(ए)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर बनाम जीतू,शारिक,सोनू
2. मु0अ0सं0 227/2023 धारा 380/411 भादवि थाना सैक्टर 63 जनपद गौतमबुद्धनगर बनाम जीतू
3. मु0अ0सं0 328/2024 धारा 380/411 भादवि थाना इगलास जनपद अलीगढ़ बनाम जीतू

बरामदगी का विवरण--

1. एक एलईडी एलजी
2. 4 बन्डल छीला हुआ तार 2.5 एमएम
3. 5 बन्डल छीला हुआ तार 4 एमएम

4. 4 बन्डल छीला हुआ तार 6 एमएम
5. 1 बन्डल छीला हुआ तार 10 एमएम
6. 1 बन्डल छीला हुआ तार 1.5 एमएम
7. 1 वायर कटर, 1 प्लाश
8. 1 पेंचकश, 1 ड्रिल मशीन
9. 1 रेती
- 10.1 आरी
- 11.1 ब्लेड
- 12.1 पेंचकश
- 13.1 प्लाश
- 14.3 वायर कटर
- 15.10 जक्शन डिब्बी
- 16.1 बन्डल वायर
- 17.4 एलईडी बल्ब
- 18.1 हैंडल लाक
- 19.2 डोरबैल
- 20.1 ओवन पुराना
21. एक सील पैक
22. एक एलसीडी माईक्रोमैक्स
23. पुरानी पेंचकश, चाबी आदि बरामद

4.थाना सैक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा अवैध गांजे की बिक्री करने वाली 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 09.01.2025 को थाना सैक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा अवैध गांजे की बिक्री करने वाली 02 अभियुक्ता 1-मुमताज पत्नी जमील अहमद 2-चाँदनी पत्नी कासिम को 02 किलो 800 ग्राम गांजे सहित गली नं0 01, 25 फुटा रोड छिजारसी से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्ता की गिरफ्तारी एवं उनसे बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सैक्टर 63, नोएडा पर मु0अ0सं0 18/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1-मुमताज 2-चाँदनी उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण--

1. मुमताज पत्नी जमील अहमद निवासी भूडे का चौराहा, थाना हरपालनगर, जनपद मुरादाबाद व हाल पता गली न0 01, 25 फुटा रोड, थाना सैक्टर 63, नोएडा, (उम्र करीब 42 वर्ष)
2. चाँदनी पत्नी कासिम निवासी सैवासपुर थाना सैसवान जनपद बरेली (उम्र करीब 26 वर्ष)

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का आपराधिक इतिहास--

A.अभियुक्ता मुमताज उपरोक्त--

1. मु0अ0सं0 18/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैक्टर 63, नोएडा
2. मु0अ0सं0 1642/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 02/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 2288/2021 धारा 34 भादवि व धारा 3/4 जुआ अधिनियम थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 1145/2023 धारा 135 विधुत अधिनियम थाना एंटी पावर थेप्ट, गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 170/2018 धारा 135 विधुत अधिनियम थाना विजयनगर, गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 3154/2020 धारा 135 विधुत अधिनियम थाना एंटी पावर थेप्ट, गाजियाबाद

B.अभियुक्ता चांदनी उपरोक्त--

1. मु0अ0सं0 18/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैक्टर 63, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

1. 02 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा

5.थाना सैक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं 25,000/ रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 09.01.2025 को थाना सैक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलीजेंस एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000/रुपए के पुरस्कार घोषित नामित/वांछित अभियुक्त आशीर्वाद मिश्रा पुत्र प्रकाश मिश्रा को ए-64 सेक्टर 4 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटनाक्रम का विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्त आशीर्वाद मिश्रा उपरोक्त अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर फर्जी काल सेन्टर संचालित कर Shine.com से नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं का डाटा लेकर

उनको कॉल करके नौकरी एवं लाइफटाइम मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करने के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी करता था।

अवगत कराना है कि अभियुक्त आशीर्वाद मिश्रा उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में भी उक्त धोखाधड़ी के सम्बन्ध में थाना सैक्टर 63, नोएडा पर मु0अ0सं0 152/23 धारा 420/406/467/468/471/34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त आशीर्वाद मिश्रा उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया था। अभियुक्त आशीर्वाद मिश्रा उपरोक्त के विरुद्ध थाना सैक्टर 63, नोएडा से गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई थी तथा मु0अ0सं0 569/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था तथा लगातार फरार चल रहा था। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा, कमिश्नेट गौतमबुद्धनगर द्वारा ₹25000 का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त आशीर्वाद मिश्रा उपरोक्त के गिरोह के शेष 03 सदस्यों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. आशीर्वाद मिश्रा पुत्र प्रकाश मिश्रा निवासी रियाव थाना गंगाह जिला गौरखपुर हाल पता हनुमान वाली गली आशीर्वाद अपार्टमेन्ट मयूर विहार फेस-3 थाना अशोक नगर दिल्ली (उम्र 28 वर्ष)

अभियुक्त आशीर्वाद मिश्रा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 569/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सैक्टर 63 नोएडा
2. मु0अ0सं0 152/23 धारा 420/406/467/468/471/34 भादवि थाना सैक्टर 63, नोएडा